

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन, पीलीभीत, बांदा, कन्नौज, मीरजापुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, बदायूं, आजमगढ़, सोनभद्र, उन्नाव, आगरा, कानपुर नगर, अमेठी, इटावा, फतेहपुर, झांसी, ललितपुर, औरैया, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, कानपुर देहात, रामपुर, फर्रुखाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, मथुरा, कुशीनगर, एटा, बुलन्दशहर, बलिया, गोरखपुर, सम्भल, हापुड, गौतमबुद्धनगर, हाथरस, शामली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक :: 11 अप्रैल, 2015

विषय: फरवरी/मार्च, 2015 में प्रदेश में चक्रवाती तूफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के कारण कृषि फसलों को हुई क्षति के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान एवं मृतकों के आश्रितों को वितरित किये जाने के लिये राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या:229/1-10-2015-33(34)/2015 दिनांक 10.04.2015 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 में लेखाशीर्ष त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है। अतः उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-3 को निम्नवत् पढ़ते हुये कार्यवाही की जाय:-

“उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-04-दैवीय आपदा से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार से अतिरिक्त सहायता-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।”

2- पूर्व निर्गत शासनादेश में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या:-229(3)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/ऑडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- संबंधित मण्डलायुक्त।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

6- संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।

8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5/गार्ड फाइल।

अज्ञा से,
(लीना जौहरी)
सचिव एवं राहत आयुक्त